न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/792

1. फतेह सिंह पुत्र स्व0 मोहनलाल, जाति माली, निवासी शाहजहांपुर, तहसील नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. झम्मन सिंह पुत्र मोहनलाल–मृतक
   1/1. कंवरसिंह,
   1/2. हरिसिंह,
   1/3. हरफुल सिंह,
   1/4. कृष्ण पुत्रान झम्मनलाल,
   1/5. फुली पुत्री झम्मनलाल, जाति माली, निवासी शाहजहांपुर, तहसील नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान।,
2. रामसिंह पुत्र मोहनलाल, जाति माली, निवासी शाहजहांपुर, तहसील नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत शाहजहांपुर, तहसील नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान।
4. तहसीलदार नीमराना, तहसील नीमराना, जिला अलवर, राजस्थान।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार, तहसील नीमराना, जिला अलवर, विरूद्ध आदेश दिनांक 25.02.2019 जिसके द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नीमराना जिला अलवर के आदेश दिनांक 28.06.2018 को अनदेखा कर तहत न्यायालय ने बेजा रूप से स्व. श्री मोहनसिंह के वारिसानों की बिना किसी जॉच अपील खारिज करने में अहम कानूनी गलती की है।

उपस्थित :–

1. श्री हरिप्रसाद जांगिड, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री शीशराम यादव, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5, व 2 की ओर से।
3. श्री विजयसिंह राठौड, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से।
4. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक — 03.03.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, तहसील नीमराना जिला अलवर के निर्णय दिनांक 25.02.2019 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 22.04.2019 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर के समक्ष हाल अपीलान्ट ने एक अपील संख्या 30/2015 बअनुवान फतेहसिंह बनाम झम्मन सिंह इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि इन्तकाल संख्या 42 दिनांक 25.10.1969 ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराना को निरस्त किया जाकर मृतक मोहनसिंह पुत्र कन्हैया माली निवासी शाहजहांपुर की विरासत का इंतकाल उनके सभी वारिसान सजरा के अनुसार स्वीकृत किया जावे। उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2018 से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश मातहत अदालत ग्राम पंचायत शाहजहांपुर पं०स० नीमराना जिला अलवर राज० का आदेश दिनांक 25.10.1969 बाबत इन्तकाल सं० 42 ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराना का प्रचलन रथगित किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, नीमराना को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि उभयपक्षकारान की सुनवाई कर, समुचित अवसर प्रदान करते हुये 90 दिवस में विधिक निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील नीमराना जिला अलवर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.02.2019 में अंकित किया गया है कि दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने कथन किया था कि प्रश्नगत भूमि के क्रम में एक वाद बाबत घोषणा फतेहसिंह बनाम झम्मन सिंह व अन्य विचाराधीन है। जिसमें अपीलान्ट ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। विचारण न्यायालय के समक्ष

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पत्रावली में भी अपीलान्ट का मृतक खातेदार मोहन सिंह का पुत्र होना साबित है परन्तु गोद जाना या नहीं जाना स्पष्ट नहीं है। अतः पत्रावली में अधिकारों की घोषणा होना आवश्यक है, जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है तथा पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष विचाराधीन वाद में अपना पक्ष प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के आदेश पारित किये गये।

3. तहसीलदार, तहसील नीमराना जिला अलवर के निर्णय दिनांक 25.02.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट फतेहसिंह पुत्र स्व0 मोहनलाल द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश न्यायालय तहसीलदार नीमराना, तहसील नीमराना जिला अलवर का निर्णय दिनांक 25.02.2019 निरस्त कर, मृतक मोहनसिंह की विरासत में वारिस के रूप में मिन अपीलान्ट के हक में 1/3 हिस्से का इन्तकाल दर्ज करने करने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्टस की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्टस के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2019 न्यायालय तहसीलदार नीमराना, तहसील नीमराना, जिला अलवर का है, जिसमें मिन अपीलान्ट को जान–बूझकर नुकसान पहुंचाने की नीयत से उक्त आलौच्य आदेश पारित किया गया है। मिन अपीलान्ट एक ग्रामीण परिवेश का एवं अनपढ व्यक्ति है जिसे कानून व मियाद जानकारी नहीं होने के कारण उक्त अपील पेश करने में देरी हुई जो क्षमा योग्य है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 25.02.2019 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 27.02.2019 को प्राप्त की परन्तु अपीलान्ट बीमार हो जाने के कारण अपने वकील साहब से सम्पर्क नहीं कर पाया स्वस्थ होने पर अपने वकील साहिबान से सलाह मशवरा किया, तो न्यायालय श्रीमान के समक्ष अपील दायर करने की सलाह दी। जिस पर आवश्यक कागजातमाल एकत्र कर, अपीलाधीन आदेश की अपील जानकारी के दिने से अन्दर अवधि है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा कर अपील को न्यायहित में गुणावगुण पर निस्तारित करने की कृपा करें।

अदालत मातहत द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य को अनदेखा करते हुए रेस्पोन्डेंट को बेजा लाभ पहुँचाने कें लिए मिली भगत कर उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है। असल रेस्पोंडेन्टान ने स्व. श्री मोहनसिंह के केवल दो पुत्र होना बताया था, असल रेस्पोडेन्टान ने मातहत अदालत के समक्ष मिन अपीलान्ट को मोहनसिंह का पुत्र होने का तथ्य छुपाकर कर्मचारीयों से मिली भगत कर उक्त इन्तकाल सं0 42 अपने नाम करवाया। तथा न्यायालय के समक्ष मिन अपीलान्ट को टोडाराम सैनी का दत्तक पुत्र बतलाकर अपने नाम से करवा लिया परन्तु ऐसा कोई भी दस्तावेजात व साक्ष्य प्रस्तुत नही किया कि जिससे यह साबित हो सके कि मिन अपीलान्ट अपने फूफा टोडाराम सैनी के यहा गोद चला गया था। अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून व खिलाफ राजस्व रिकार्ड होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। क्योकि उक्त विवादित आराजी पर मिन अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा निहित है। तथा उक्त आराजी पर मिन अपीलान्ट का कब्जा काश्त है। अदालत मातहत को हाल राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजातों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाना चाहिए था। परन्तु अदालत मातहत ने ऐसा नहीं किया। विवादित आराजी मे मिन अपीलान्ट का पूर्ण हक अधिकार हैं। जिससे मिन अपीलान्ट के हक हकूको पर कुठाराघात है। परन्तु अदालत मातहत द्वारा उक्त बिन्दुओं पर गौर किये विना ही निर्णय पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मिन अपीलान्टान को सुनवाई का मौका नहीं दिया और अपीलाधीन आदेश मिन अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की नीयत से पारित किया गया जो कानून के सुस्थापित सिद्वान्त के विपरीत हैं। अतः अपील अपीलांटान प्रस्तुत कर निवेदन है कि मिन अपीलांटान की अपील स्वीकारते हुए तहत् न्यायालय तहसीलदार नीमराना, तहसील नीमराना जिला अलवर का आदेश दिनांक 25.02.2019 निरस्त कर, मृतक मोहनसिंह की विरासत में वारिस के रूप में मिन अपीलान्ट के हक में 1/3 हिस्से का इन्तकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य कोई न्यायसंगत आदेश जो उचित हो। मान्य न्यायालय अपीलान्टान के हक में पारित करे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5, व 2 एवं 3 के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर के समक्ष हाल अपीलान्ट ने एक अपील संख्या 30/2015 बअनुवान फतेहसिंह बनाम झम्मन सिंह इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि इन्तकाल संख्या 42 दिनांक 25.10.1969 ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराना को निरस्त किया जाकर मृतक मोहनसिंह पुत्र कन्हैया माली निवासी शाहजहांपुर की विरासत का इंतकाल उनके सभी वारिसान सजरा के अनुसार स्वीकृत किया जावे। उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला अलवर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2028 से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश मातहत अदालत ग्राम पंचायत शाहजहांपुर पं०स० नीमराना जिला अलवर राज० का आदेश दिनांक 25.10.69 बाबत इन्तकाल सं० 42 ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराना का प्रचलन स्थगित किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, नीमराना को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि उभयपक्षकारान की सुनवाई कर, समुचित अवसर प्रदान करते हुये 90 दिवस में विधिक निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील नीमराना जिला अलवर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.02.2019 में अंकित किया गया है कि दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने कथन किया था कि प्रश्नगत भूमि के क्रम में एक वाद बाबत घोषणा फतेहसिंह बनाम झम्मन सिंह व अन्य विचाराधीन है। जिसमें अपीलान्ट ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली में भी अपीलान्ट का मृतक खातेदार मोहन सिंह का पुत्र होना साबित है परन्तु गोद जाना या नहीं जाना स्पष्ट नहीं है। अतः पत्रावली में अधिकारों की घोषणा होना आवश्यक है, जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है एवं पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष विचाराधीन वाद में अपना पक्ष प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के आदेश पारित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील नीमराना जिला अलवर का निर्णय दिनांक 25.02.2019 को यथावत रखा जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील नीमराना जिला अलवर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2019 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन कर प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 25.02.2019 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल दिनांक 27.02.2019 को प्राप्त की परन्तु अपीलान्ट बीमार होने के कारण अपने वकील साहब से सम्पर्क नहीं कर पाया स्वस्थ होने पर अपने वकील साहब से सलाह मशवरा किये जाने के उपरान्त समक्ष न्यायालय में अपील दायर करने की सलाह दी। जिस पर आवश्यक कागजातमाल एकत्र कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना द्वारा फतेह सिंह की इंतकाल संख्या 42 दिनांक 25.10.1969 के विरूद्ध अपील स्वीकार कर मातहत अदालत का आदेश दिनांक 25.10.1969 बाबत् इन्तकाल संख्या 42 ग्राम शाहजहॉपुर तहसील नीमराना का प्रचलन स्थगित कर प्रकरण तहसीलदार नीमराना को उभय पक्षकारान की सुनवाई कर समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिक निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिए। तहसीलदार द्वारा उभय पक्षकारान की सुनवाई की गई एवं अपने निर्णय में यह लिखा कि फतेहसिंह (अपीलांट) मृतक खातेदार मोहन सिंह का पुत्र है, यह साबित है, परन्तु गोद जाना या ना जाना स्पष्ट नहीं है। पत्रावली में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपलब्ध दस्तोवेजों यथा प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र, मोहनसिंह की पुत्रियों एवं अन्य व्यक्तियों के शपथ पत्र, पंचायत का कार्यवाही विवरण आदि से यह तो स्पष्ट ही है कि फतेहसिंह मोहन सिंह का ही पुत्र है। इस तथ्य से रेस्पोडेन्ट द्वारा भी इंकार नहीं किया गया है। किन्तु गोदनामे के दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय में यह लिखा गया कि गोद जाना या ना जाना स्पष्ट नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों एवं शपथ पत्रों के अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि फतेहसिंह वर्षों से अपने फूफा टोडाराम के यहां ही रह रहा है। रेवाडी, हरियाणा के दस्तावेजों यथा Municipal Council, पानी के बिल, नगर परिषद रेवाडी की रसीद, गृहकर रसीद में फतेहसिंह पुत्र टोडाराम अंकित है। उपरोक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त मोहनसिंह की पुत्रियों के शपथ पत्र से भी यह स्पष्ट है कि फतेहसिंह टोडाराम के यहॉ गोद चला गया था यद्यपि इसका दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। फतेहसिंह द्वारा भी इस तथ्य को किसी भी न्यायालय में गलत नहीं बताया गया है एवं मात्र गोदनामा का दस्तावेज उपलब्ध न होने के आधार पर स्वयं को फतेहसिंह पुत्र मोहन बता रहा है, जबकि रेवाडी के समस्त दस्तावेजों में स्वयं को फतेहसिंह पुत्र टोडाराम बताया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर तहसीलदार द्वारा जो संक्षिप्त निर्णय पारित किया गया है कि मोहनसिंह का पुत्र होना साबित है, किन्तु गोद जाना स्पष्ट नहीं है, बिल्कुल सही है। साथ ही निर्णय में यह भी स्पष्ट किया है कि पत्रावली में अधिकारों की घोषणा होना आवश्यक है जो तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में नहीं है एवं प्रश्नगत भूमि के क्रम में एक वाद बाबत् घोषणा विचाराधीन है। उपरोक्त विवेचन एवं साक्ष्यों के आधार हम तहसीलदार के निर्णय से पूर्ण रूप से सहमत है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील नीमराना जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2019 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड दिनांक 25.02.2019 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को खुले न्यायालय मे-सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर